न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 25–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 4/अ–12/2011–12.

1–मुंशीसिंह पुत्र स्व.श्री बाबूसिंह
2–बृजेश उर्फ बब्लू पुत्रगण स्व0श्री बाबूसिंह
निवासी गोमती की फड़ी सिकन्दर कम्पू लश्कर,
ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–कालीचरन पुत्र स्व.श्री नंदराम
2–नेहनाराम पुत्र स्व.श्री नंदराम
3–किशन पुत्र स्व.श्री नंदराम
4–पूरनसिंह पुत्र स्व.श्री नंदराम
5–श्रीराम पुत्र स्व.श्री नंदराम
निवासी गोमती की फडी सिकन्दर कम्पू लश्कर
ग्वालियर म0प्र0
6–कमाण्डेड एस0ए0एफ0 13वीं वटालियन कम्पू
लश्कर ग्वालियर म0प्र0 .....अनावेदकगण
7–मु.रामश्री बेवा बाबूसिंह
8–राजेन्द्रसिंह पुत्र बाबूसिंह
9–त्रिलोकसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
10–गोपालसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
समस्त निवासी गोमती की फडी, सिकन्दर कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर म0प्र0 .....फॉरमल अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक,–अनावेदक कमांक 1 से 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 12–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 129 के तहत ग्राम शहर लश्कर की भूमि सर्वे कमांक 1212, 1227, 1228, 1229/1835, 1329/1836 के सीमांकन हेतु तहसीलदार को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा समीपवर्ती कृषक मु0रामश्री व अन्य को व्यक्तिगत सूचना सीमांकन हेतु दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की गई। मौके पर रामश्री द्वारा आपत्ति की गई कि सर्वे नम्बर 1227 आपत्तिकर्ता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य का है ,जो बटवारे में उसे प्राप्त हुआ है । राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी मौजा के पास उपलब्ध शासकीय अभिलेख का अवलोकन करने पर आपत्तिकर्ता की आपत्ति में वर्णित यह तथ्य कि सर्वे कमांक 1227 आपत्तिकर्ता स्वत्व स्वामित्व का है, को नहीं मानते हुये उक्त भूमि शासकीय अभिलेख में अनावेदकगण के नाम अंकित होने पर मौके पर सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–12 से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित इसी आदेश दिनांक 12–11–12 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही में आवेदकगण जो कि चौमड़िया सहकृषक थे, को सूचना दिये बगैर मौके पर सीमांकन की कार्यवाही की गई । संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार चौमडियॉ कृषकों को सूचना दिये बगैर अगर सीमांकन किया जाता है तो ऐसा सीमांकन प्रभाव शून्य मान्य किया जावेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा आवेदकगणों को साक्ष्य एवं सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर अधीनस्थ न्याायलय द्वारा बहस तो सुनी गई, परन्तु आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में कोई विवेचना किये बगैर केवल इस आधार पर कि सर्वे कमांक 1227 का आवेदकगण से कोई संबंध नहीं है, सर्वे कमांक 1227 राजस्व अभिलेख में अनावेदकगणों के नाम से दर्ज है, इसलिये आवेदकगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन होने से निरस्त की जाकर आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि अनोवदकगण एवं आवेदकगण पिता सगे भाई थे तथा दोनों की सहमति के आधार पर वर्ष 1975 में बटवारा हुआ था आवेदकगण बाबूसिंह के वारिस है । आवेदकगण द्वारा 1975 से आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । विवादित भूमि बटवारे में अनावेदक कमांक 1 से 5 तक को प्राप्त हुई है । विवादित भूमि के वर्तमान में आवेदकगण भूमिस्वामी नहीं है । आवेदकगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के भूमिस्वामी होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा सहमति से हुये बटवारे के आधार पर सीमांकन करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली आवेदकगण पर नहीं कराई गई है और उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण में सीमांकन संबंधी फील्डबुक एवं नक्शा भी सम्मिलित नहीं है, इससे भी प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन संबंधी फील्डबुक एवं नक्शा तैयार ही नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि उभयपक्ष को विधिवत्

सीमांकन की सूचना की तामीली कराई जाकर विधिअनुसार सीमांकन की कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर सीमांकन आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार, ग्वालियर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर